दिनांक 24.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 36/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा नशे के विरूद्ध ऑपरेशन प्रहार का 2nd फेज अभियान चलाकर की गयी कार्यवाही।

मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 के निर्देशानुसार **श्री प्रशान्त कुमार,** पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशो के क्रम में पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के पर्यवेक्षण में नशे की वीडियो से बच्चों और युवा पीढ़ी को बचाए जाने के उद्देश्य से **ऑपरेशन प्रहार का 2nd फेज** गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट के तीनों जोंन के पुलिस उपायुक्त नोएडा, पुलिस उपायुक्त सेन्ट्रल नोएडा तथा पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा के नेतृत्व में आज दिनॉकः 24.10.2024 को एक साथ **लगभग 700 से अधिक** स्थान स्कूलों/विश्वविद्यालयों के आस पास लगभग 100 से अधिक टीम लगाकर जिसमें 500 पुलिसकर्मी नागरिक पुलिस, 05 प्लाटून पीएसी, 27 टीमें एंटी रोमियो स्वाट टीम, कमांडो टीम और एंटी नारकोटिक्स की टीमें एक साथ समय 13.00 बजे से **ऑपरेशन प्रहार** चलाया गया है।

विगत कुछ दिनों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर गोपनीय तरीके से छानबीन के उपरांत यह टीमें लगाई गई है। तीनों जोन की टीमों की पुलिस उपायुक्त नोएडा, सेन्ट्रल नोएडा, ग्रेटर नोएडा के द्वारा ब्रीफिंग की गई एवं नोएडा जोन में हरौला, बरौला, सदरपुर, पर्थला, सर्फाबाद, अट्टा, सेक्टर 62, सेक्टर 12 के आस पास, सेन्ट्रल नोएडा जोन में छिजारसी, बहलोलपुर, भंगेल, कुलेसरा, हल्द्वानी, रोजा जलालपुर एवं ग्रेटर नोएडा जोन में नॉलेज पार्क, ऐच्छर, कस्बा कासना, कस्बा विलासपुर, कस्बा रबूपुरा, कस्बा जेवर, कस्बा जारचा, कस्बा दादरी के स्कूलों/विश्वविद्यालयों एवं दुकानों, सैलूनों एवं अस्थाई दुकानों, ड्रग सप्लायर, डीलर, पैडलर की तलाशी ली गई। जिसमें **कुल 68 अभियुक्तों** के विरुद्ध कार्रवाई की गई और **43.2 किलोग्राम अवैध गांजा एवं भारी मात्रा में स्मैक की पुडिया, ई सिगरेट, 100 पाइप और रोलिंग पेपर** बरामद हुये हैं। कार्यवाही के दौरान ही 03 व्यक्तियों को ऑन लाइन नशे का सामान बेचते हुये गिरफ्तार किया गया है।

MAGADH INN
GIRLS HOSTEL

全家分享

mix N' mAtch
PRAVEEN KR. SINGH

दिनांक 24.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 37/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद रामपुर/थाना स्वार

- **25—25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 24.10.2024 को थाना स्वार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरनिया बाग से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—आरेफीन 2—आजम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना स्वार पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषत था। गिरफ्तार अभियुक्त ओरफीन के विरूद्ध जनपद रामपुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 11 अभियोग व अभियुक्त आजम के विरूद्ध जनपद रामपुर के थाना स्वार पर हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आरेफीन निवासी नरपतनगर थाना स्वार जनपद रामपुर।

2—आजम निवासी ग्राम दून्दावाला नरपतनगर थाना स्वार जनपद रामपुर।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस—02

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 24.10.2024 को थाना फेस—02 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चिपियाना बुजुर्ग थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर से पुरस्कार घोषित अभियुक्त संजीव को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना फेस–02 पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–02 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संजीव निवासी ग्राम सलारपुर खादर, तहसील दादरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

जनपद गोरखपुर/थाना उरूवा बाजार

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये सोने के आभूषण**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः24.10.2024 को थाना उरूवा बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भरवलिया रोड पर पन्डितान टोला मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों 1–शमीम उर्फ इन्तीजार 2–सैयद उर्फ भुअर उर्फ टिल्टू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये सोने के आभूषण, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना उरूवा बाजार क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना उरूवा बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना उरूवा बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शमीम उर्फ इन्तीजार निवासी ग्राम चक्र महेशपुर थाना गोला जनपद गोरखपुर।

2–सैयद उर्फ भुअर उर्फ टिल्टू निवासी ग्राम चक्र महेशपुर थाना गोला जनपद गोरखपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—लूटे गये सोने के आभूषण।

2—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

<u>जनपद गोरखपुर/थाना गुलरिहा</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 50 हजार रूपये नगद**
- **लूट का 01 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 23.10.2024 की रात्रि थाना गुलरिहा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मदरहवा निर्माणाधीन अण्डर पास से 02 अभियुक्तों 1—सर्वेश 2—धीरज उर्फ मूसे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 50 हजार रूपये नगद, लूट का 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना गुलरिहा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गुलरिहा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गुलरिहा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सर्वेश निवासी देवीपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।

2—धीरज उर्फ मूसे निवासी देवीपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 50 हजार रूपये नगद।

2—लूट का 01 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद बरेली/थाना फतेहगंज पश्चिमी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **526 ग्राम अवैध स्मैक, 01 किलो 392 ग्राम कट पाउण्डर, 452 ग्राम सफेद पदार्थ (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 67 लाख 52 हजार 200 रूपये) आदि बरामद**

दिनॉकः 23.10.2024 को थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त शरीफ अहमद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 526 ग्राम अवैध स्मैक, 01 किलो 392 ग्राम कट पाउण्डर, 452 ग्राम सफेद पदार्थ (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 67 लाख 52 हजार 200 रूपये) आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शरीफ अहमद निवासी ग्राम टिटौली थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।

बरामदगी

1–526 ग्राम अवैध स्मैक, 01 किलो 392 ग्राम कट पाउण्डर, 452 ग्राम सफेद पदार्थ (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 67 लाख 52 हजार 200 रूपये) आदि।

जनपद मथुरा/थाना रिफाइनरी

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 24.10.2024 को थाना रिफाइनरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाद रेलवे स्टेशन सर्विस रोड पर पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त विष्णु घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के

कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रिफाइनरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विष्णु निवासी पूजा इनक्लेव थाना कोतवाली जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

- **जनपद इटावा/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजीव को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना चरवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना चरवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(ए,बी) भादवि सपठित धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त चौबे को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफःहत्या की घटना को अंजाम देने की योजना का पर्दाफाश, हत्या की घटना को विफल करते हुए 03 अभियुक्तों को असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 23–10–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद जौनपुर थाना क्षेत्र सिकरारा अन्तर्गत हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे 03 व्यक्तियों को हत्या की घटना को अंजाम देने से पूर्व ही गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– सुनील उपाध्याय उर्फ ओम उपाध्याय पुत्र गंगदेव उपाध्याय नि0 ताहिरपुर, थाना सिकरारा, जनपद जौनपुर।

2– सुशील सरोज पुत्र श्याम बिहारी सरोज नि0 ताहिरपुर, थाना सिकरारा, जनपद जौनपुर।

3– मुकेश उर्फ जयहिन्द पुत्र भरत राम नि0 नि0 ताहिरपुर, थाना सिकरारा, जनपद जौनपुर।

बरामदगीः–

1– 01 अदद तमन्चा 315 बोर।

2– 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

3– 01 अदद तमन्चा 12 बोर।

4– 04 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

5– 01 अदद मोटर साइकिल टीवीएस स्पोर्ट यूपी 62 बीवाई 4210

6– 01 अदद मोटर साइकिल डीलक्स यूपी 62 सीएल 2948

7– रू0 2500/– नगद

8– 02 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः–

दिनांक 23–10–2024 को समय 19.35 बजे। कमलेश पाठक के दुकान के सामने सुजानगंज रोड सिकरारा, जनपद जौनपुर।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय गिरोह का आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री संजीव कुमार दीक्षित, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उपनिरीक्षक प्रताप नारायण सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 विनोद कुमार सिंह, मु0आ0 सरोज अवस्थी, राकेश शर्मा, मुकेश प्रजापति चालक विष्णु कुमार सिंह की एक टीम आपराधिक अभिसूचना संकलन हेतु जनपद जौनपुर में भ्रमणशील थी, इस दौरान ज्ञात हुआ कि किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए योजना बना रहे 03 व्यक्ति सिकरारा बाजार में मौजूद है, प्राप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर कमलेश पाठक के दुकान के सामने सुजानगंज रोड सिकरारा, जनपद जौनपुर से 03 व्यक्तियों को आवष्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में अभियुक्त सुनील उपाध्याय ने बताया कि संजय सिंह की पत्नी का सम्बन्ध बाबी उर्फ सैफ से है। संजय की जमीन कमलेश पाठक ने खरीद लिया था। जिस पर बाबी उर्फ सैफ द्वारा उक्त खरीदी हुई जमीन को वापस करने का दबाब बनाया जा रहा था और साथ ही जान से मारने धमकी भी दी जा रही थी। जिसके सम्बन्ध में लगभग एक वर्ष कमलेश पाठक द्वारा बाबी उर्फ सैफ, संजय सिंह की पत्नी के खिलाफ थाना सिकरारा में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इसी रंजिष को लेकर बाबी उर्फ सैफ ने सुनील उपाध्याय से मिलकर कमलेश पाठक की हत्या करने की योजना बनाई। इस घटना को अंजाम देने के लिए 12 लाख रूपये में बात तय हुई। सुनील उपाध्याय को बाबी उर्फ सैफ ने असलहा उपलब्ध कराया। जिसके बाद सुनील उपाध्याय ने सुशील सरोज और मुकेष को इस घटना को अंजाम देने के लिए तैयार किया। इस घटना को अंजाम देने के लिए कमलेष पाठक के सीमेन्ट की दुकान पर जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सिकरारा, जनपद जौनपुर में मु0अ0सं0 266/2024 धारा 3(5)/55/61(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

सुनील उपाध्याय का ज्ञात अपराधिक इतिहास निम्नवत है:-

1– मु0अ0सं0 38/2012 धारा 110जी सीआरपीसी थाना सिकरारा, जौनपुर।

2– मु0अ0सं0 598/2014 धारा 302, 394 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकरारा, जौनपुर।

3– मु0अ0सं0 601/2015 धारा 3(1) गै0एक्ट थाना सिकरारा, जौनपुर।

एसटीएफः पटना के कुख्यात उज्जवल गैंग का सकिय सदस्य एवं थाना सिगोडी, पटना बिहार के मु0अ0सं0 118/24 में वांछित कुख्यात अपराधी फैजल उर्फ किटटू जनपद गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार।

दिनांकः 24–10–2024 को एस0टीएफ0एफ0 उत्तर प्रदेश को पटना के कुख्यात उज्जवल गैंग का सक्रिय सदस्य एवं थाना सिगोडी, पटना बिहार के मु0अ0सं0 118/24 धारा 115(2), 117(2), 118(2), 109(1), 352/53(5) बीएनएस एवं 27 आर्म्स एक्ट के अभियोग में वांछित रू0 25,000/– के पुरस्कार घोषित अपराधी फैजल उर्फ किटटू को जनपद गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः-

फैजल उर्फ किटटू पुत्र कसमुदीन निवासी ग्राम नौबतपुर जनपद पटना बिहार ।

गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः-

दिनांक 24–10–2024 समय 09.30 बजे, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री राज कुमार

मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के निर्देषन एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री अक्षय पी0के0 त्यागी द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एसटीएफ बिहार द्वारा थाना सिगोडी, पटना बिहार के मु0अ0सं0 118/24 में वांछित रू0 25,000/– के पुरस्कार घोषित अपराधी फैजल उर्फ किटटू के गिरफ्तारी हेतु आवष्यक सहयोग मॉगा गया था। जिस पर उप निरीक्षक श्री अक्षय पीके त्यागी के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन किया जा रहा था। इस दौरान ज्ञात हुआ कि अपराधी फैजल उर्फ किटटू आई ब्लाक बीटा–2 ग्रेटर नोएडा में मदर डेरी के पास खडा हुआ है। जिस पर एसटीएफ उ0प्र0 टीम द्वारा बिहार एसटीएफ को साथ लेकर संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अभियुक्त फैजल उर्फ किटटू को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त फैजल उर्फ किटटू ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 21 साल है। उसके गॉव के रहने वाले बीकू के माध्यम से वर्ष 2020 में उसकी जान पहचान एवं मुलाकात पटना बिहार के कुख्यात अपराधी एवं सरगना उज्जवल से हुई थी और तभी से वह गैग के सरगना उज्जवल के लिए काम करने लगा था। उज्जवल और उसका गैंग पटना व अन्य क्षेत्रों में रंगदारी मागने के लिए कुख्यात था और रंगदारी न देने पर अपना भय दिखाने के लिए हत्या एवं हत्या के प्रयास करते थे। वर्तमान में कुख्यात अपराधी उज्जवल, पटना की बेउर जेल में बन्द हैं। अभियुक्त फैजल उर्फ किटटू द्वारा कुख्यात अपराधी उज्जवल के कहने पर ही पटना में कई लोगों से रंगदारी मांगी गयी थी और न देने पर उनको अपना भय दिखाने के लिए लोगों के ऊपर गोली भी चलायी गई थी। इसी प्रकार अभियुक्त फैजल उर्फ किटटू ने अपने साथी बीकू के साथ मिलकर वर्ष– 2019 में सलोनी स्वीट्स, पटना के मालिक से भी रंगदारी मांगी गयी थी, रंगदारी न देने पर बीकू के साथ मिलकर उसके मालिक पर गोली भी चलाई गयी थी, जिसमें सम्बन्ध में थाना बिहटा पर मु0अ0सं0 349/19 धारा 385/387/307/120बी भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था और इस अभियोग में अभियुक्त फैजल उर्फ किटटू जेल गया था और लगभग 03 साल तक जेल में रहा था। जेल से छूटने के उपरान्त वर्ष–2023 में अभियुक्त फैजल उर्फ किटटू,

ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर में आकर छिपकर रहने लगा था। अगस्त वर्ष– 2024 में पटना बिहार गया था तो वहॉ पर अपनी नानी के घर सिगोडी, जहॉ पर उसके मामा और गॉव के मुखिया के मध्य झगडा हुआ था और इस झगडे में अभियुक्त फैजल उर्फ किटटू ने मुखिया के सिर में गोली मारी थी जिससे मुखिया बुरी तरह घायल हो गया था, इस जघन्य घटना के सम्बन्ध में दिनांक 27–08–2024 को थाना सिगोडी पर अभियुक्त फैजल उर्फ किटटू के विरूद्ध मु0अ0सं0 118/24 धारा 115(2), 117(2), 118(2), 109(1), 352/53(5) बीएनएस एवं 27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ है और इसी अभियोग में अभियुक्त फैजल उर्फ किटटू वांछित चल रहा था

गिरफ्तार अभियुक्त फैजल उर्फ किटटू के विरूद्व निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है। –

क0स0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	342/19	385/387/307/120बी भादवि	बिहटा	पटना
2	349/19	385/387/307/120बी भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट	बिहटा	पटना
3	630/19	386/387/307/120बी भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट	नौबतपुर	पटना
4	65/20	25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट	नौबतपुर	पटना
5	606/20	399/402/414 भादवि एवं 25(1–बी)ए/26/ 35 आर्म्स एक्ट	नौबतपुर	पटना
6	370/21	383/387/34 भादवि	नौबतपुर	पटना
7	118/24	115(2), 117(2), 118(2), 109(1), 352/53(5) बीएनएस एवं 27 आर्म्स एक्ट	सिगौड़ी	पटना

गिरफ्तार अभियुक्त फैजल उर्फ किटटू को थाना सिगोडी एवं एसटीएफ पटना पुलिस के साथ थाना बीटा–2 ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर पर लाकर मु0अ0सं0 118/24 धारा 115(2), 117(2), 118(2), 109(1), 352/53(5) बीएनएस एवं 27 आर्म्स एक्ट थाना सिगोडी, पटना के अभियोग में दाखिल किया गया तथा अग्रेत्तर वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

––––––